Title : Need for an effective law to take action against fake Universities in the country and steps taken by the Government in regard thereto.

(ii) Need for an effective law to take action against fake Universities

in the country and steps taken by the Government in regard thereto

SHRI RAMJI LAL SUMAN (FIROZABAD): Sir, I call the attention of the Minister of Human Resource Development to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:-

"Need for an effective law to take action against fake universities in the country and steps taken by the Government in this regard. "

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, according to the University Grants Commission Act 1956, the right of conferring or granting degrees shall be exercised only by a University established or incorporated by or under a Central Act or a State Act or an institution deemed to be University or an institution especially empowered by an Act of the Parliament to confer or grant degrees. Thus, any institution which has not been created by an enactment of Parliament or a State Legislature or has not been granted the status of a Deemed to be University, is not entitled to award a degree.

The Act also provides that no institution, other than a University, established or incorporated by or under a Central Act, or a State Act, shall be entitled to have the word 'University' associated with its name in any manner whatsoever. Under the Act, the contravention of its provisions is punishable with fine. Apart from the fine prescribed, any attempt to cheat the public by offering unauthorized degrees by ineligible institutions would also attract the appropriate provisions of the criminal laws.

---

* Also placed in Library, See No. LT 2736/05.

The UGC puts up the list of such institutions on its website and also issues Press releases at the beginning of each academic session for wider awareness in the public interest. The Commission cautions aspiring students not to seek admission or deal with fake institutions. The UGC has also taken up the matter with the State Governments for enforcing penal provisions under the Indian Penal Code against those responsible.

Thus, it may be observed that legislative provisions already exist to check fake institutions functioning in contravention of the UGC Act. Proposals to make more stringent penal provisions in the existing laws in this regard are also under the Government's consideration. In view of this, the Government is of the view that while there could be a case for strengthening the existing legal framework, there seems to be no need for a separate legislation on the subject at the moment. However, suggestions from the hon. Members would greatly benefit the Government.

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोद्य, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं कि वह किसी भी कीमत पर संतोजनक नहीं है। आये दिन समाचार-पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों की लम्बी फेहरिस्त छपती रहती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा आज माफियाओं के कब्जे में है। बच्चों का भविय खराब हो रहा है। जिन विश्वविद्यालयों की कोई वैधता नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, वे धड़ल्ले से हमारे देश में चल रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों के सैंटर हमारे देश में चल रहे हैं। डीम्ड यूनीवर्सिटी के तमाम सैंटर हमारे देश में चल रहे हैं। कुल मिलाकर लगता है कि ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव या दबाव इन फर्जी यूनीवर्सिटीज को संचालित करने वाले, डीम्ड यूनीवर्सिटीज को संचालित करने वाले लोगों पर नहीं है। यह लगता है कि जो अमीर लोग हैं, उन लोगों के लिए धन लगाने का सबसे सुरक्षित स्थान उच्च शिक्षा बन गया है।

उपाध्यक्ष महोद्य, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके पैरा - 3 में लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन करके संचालित की जा रही जाली संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए विधायी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। इस संबंध में वर्तमान कानूनों में और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान करने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं। इस बात के मद्देनजर सरकार का मानना है कि यद्यपि वर्तमान कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है, तथापि इस संबंध में कोई पृथक कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोद्य, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून पहले से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जो कानून है, वह 1956 का एक्ट है। जिसमें इन संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक दंड का प्रावधान है। जब माननीय मंत्री जी मेरी बात का जवाब दें तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब यह सुनिश्चित हो गया कि फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं तो कितने लोगों के खिलाफ अब तक दंडात्मक कार्रवाई हुई है ? स्थिति यह है कि 6 फर्जी यूनिवर्सिटीज तो दिल्ली में ही चल रही हैं। पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए।

1956 का जो कानून है जिसके सैक्शन-24 में जाली संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बदलते परिवेश, बदलते संदर्भ में यह 1956 का जो एक्ट है, इस एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पाई जाती है तो अधिक से अधिक एक हजार रुपये का दंड उसे दिया जा सकता है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ प्राथमिकी अभी तक दर्ज की गई है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या एक्ट है, उसे आप छोड़ दीजिए लेकिन आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत हो सकता था लेकिन किसी के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। दस साल पहले जब यह फर्जी यूनिवर्सिटीज का सिलसिला शुरू हुआ, तब ये मामले प्रकाश में आए। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो विशेज्ञ थे, उनकी राय लेकर सरकार ने कहा कि 1956 का जो एक्ट है, जो कानून है, वह काफी लचीला और उदार है और जो लोग फर्जी यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, इससे बच्चों का भविय खराब होता है। इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। दस वर्ा से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वह मसौदा धूल चाट रहा है जिसमें यह प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि कम से कम एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक दंड का प्रावधान होना चाहिए लेकिन बार-बार सदन में आग्रह करने के बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या

मज्बूरी है कि नौज्वानों के जी्वन से जो लोग खिल्वाड़ कर रहे हैं, जो फर्जी यूनि्वर्सिटीज चला रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उनके खिलाफ कठोर दंड का प्रा्वधान सरकार क्यों नहीं कर रही है ? सरकार ऐसे तत्वों के साथ क्यों उदारता बरत रही है ? सरकार की ऐसे लोगों के प्रति क्यों सहानुभूति है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं आपके माध्यम से एक नि्वेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही दिन में सैक्ड़ों यूनि्वर्सिटीज को मान्यता दे दी गई। जो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन थे, वे जनहित की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कि्या कि इन वि्श्वविद्याल्यों की कोई वैधता नहीं है, इनकी मान्यता समाप्त की जाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दि्या कि जो बच्चे इन वि्श्वविद्याल्यों में पढ़ते थे, करीब में जो वैद्य वि्श्वविद्याल्य हैं, उनमें इनको दाखिला दि्या जाए और इनका भवि्य बिगाड़ने का काम न कि्या जाए। मैं जानता हू कि कि्सी भी वि्श्वविद्याल्य को मान्यता देने का काम राज्य सरकारें करती हैं लेकिन व्यवहार में क्या है ? व्यवहार में यह है कि वि्श्वविद्याल्य अनुदान आ्योग यहां से मदद देता है और उस पैसे से वहां का संचालन होता है। उसकी गुण्वत्ता, उसकी पात्रता या उसका स्तर देखना भारत सरकार का काम है, वि्श्वविद्याल्य अनुदान आ्योग का काम है, हम केवल ऐसा कहकर इसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे-ऐसे स्थानों पर वि्श्वविद्याल्य चल रहे हैं जहां कोई जूनि्यर स्कूल नहीं चल सकता। उसकी बिल्डिंग, उसकी क्वॉलिटी, उसके स्तर को देखना, सही माने में उसका जो खाका है, वह मापदंड जो वि्श्वविद्याल्य बनाये जाने के लिए तैयार कि्या है, उसको पूरा करता है कि नहीं करता है, एक एक्ट से एक ही यूनि्वर्सिटी बन सकती है लेकिन एक से सैंक्ड़ों बन जाएं, यह गोरखधंधा पूरे देश में चल रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता का वि्ाय है।

इसलिए मैं आप्से नि्वेदन करना चाहूंगा कि आज दुनि्या के तमाम देशों के केन्द्र हमारे देश में चल रहे हैं, मैं माननी्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई अनुमति आप देते हैं ? क्या उसकी कोई अनुमति वि्श्वविद्याल्य अनुदान आ्योग देता है ? उसकी क्या वैधता है और जो डीम्ड यूनि्वर्सिटीज हैं, इनके तमाम सेंट्र्स पूरे देश में खुले हुए हैं, ये अपने आप अपनी सुविधानुसार परीक्षाएं लेते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडी्श्ंस डिक्टेट करते हैं, उनको खुली आजादी है। इनके सेंट्र्स पूरे देश में खुले हए हैं। मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि उनकी क्या वैधता है ?

महोद्य, मैं आपके माध्यम से यह नि्वेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे देश में उच्च शि्क्षा का जा ताना-बाना है, उसकी वजह से आज तमाम नौज्वान डिग्रि्यां लेकर घूम रहे हैं और उनकी कोई वैधता नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सन् 1956 का एक्ट होने के बावजूद भी जब आपको यह जानकारी मिली कि फर्जी यूनि्वर्सिटीज काम कर रही हैं, तब क्या आपने उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्य्वाही की? मेरा आरोप है कि जान्बूझकर सरकार ने बच्चों के भवि्य से खिल्वाड़ करने वाले, बच्चों के भवि्य को बिगाड़ने वाले लोगों के प्रति उदारतापूर्ण रवै्या अपना्या। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सन् 1956 का यह एक्ट आज की स्थिति्यों में अर्थहीन हो चुका है। क्या कोई ऐसा एक्ट जि्समें सख्त कार्य्वाही के प्रावधान हों, कोई ऐसा कानून जि्समें कठोर दण्ड के लिए प्रावधान हो, मंत्री जी सदन में लाना चाहेंगे और कब तक ऐसा एक्ट सदन में कब तक लाना चाहेंगे?

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, in the Statement made by the hon. Minister he has mentioned that a degree can be awarded only by a recognised university. It is true that it is the law. But at the same time, the hon. Minister in his statement has also mentioned that: `The Commission cautions the aspiring students not to seek admission or deal with fake institutions.' It is very clear that there are a number of fake universities operating in our country. Education should not exploited for purposes of personal gain. It is true that now-a-days education is the most attractive and profitable field of investment and these people and groups are investing in this field. It is true both in case of fake universities as well as registered universities where self-financing colleges are coming up.

In the light of the above, I would like to know from the hon. Minister: Will the Government take appropriate action to check these things and also formulate necessary steps in the Bill that the Government proposes to bring forward in this regard to avoid coming up of such fake universities and also propose measures to control the self-financing colleges in future?

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, the deemed medical universities are collecting Rs. 1,000 per day per student from the first year and second year MBBS students. Moreover, they also are not following the reservation policy for the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes community. I would like to know from the Government as to what the Government is proposing to do in this regard.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्मल) : श्रीमन, वि्श्वविद्याल्य जैसा की इसके नाम से ही स्प्ट हो जाता है कि शि्क्षा के ऐसे केन्द्र होते हैं, जहां से दुनि्या भर में ज्ञान का प्रकाश जाता है। अगर फर्जी वि्श्वविद्याल्यों के अस्ति्त्व में आने की वजह से छात्रों में और उनके गार्जि्यन्स के मन में वि्श्वविद्याल्यों के प्रति ही अवि्श्वास पैदा हो जाए तो यह एक बहुत ही गंभीर वि्श्वास का संकट हो जाता है। मैं माननी्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग लॉ, जि्समें दो्षी लोगों के लिए बहुत ही मामूली दण्ड का प्रावधान है, संशोधन करके क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आप करेंगे जि्ससे न केवल फर्जी वि्श्वविद्याल्य चलाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्य्वाही हो, बल्कि जो बच्चों का भवि्य बिगड़ता है, उनकी फी्स और सम्य का नुक्सान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके? चूंकि आज एडमी्शन का संकट होने के कारण जहां कहीं भी कॉलेज या यूनि्वर्सिटी का बोर्ड लगा देखते हैं, बच्चे एडमी्शन पाने के लिए जाते हैं, इस्से बच्चों को जो नुक्सान होता है। बच्चों को इनकी वजह से जो नुक्सान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए और दो्षी लोगों के लिए न केवल ऐसे दण्ड का प्रावधान होना चाहिए जि्ससे उनकी यूनि्वर्सिटी बन्द हो जाए, बल्कि उनको जेल में भेजने का भी काम हो, ताकि भवि्य में ऐसा और कोई वि्श्वविद्याल्य न खोला जा सके?

श्री शैलेन्द्र कुमार (चा्यल) : माननी्य उपाध्यक्ष जी, फर्जी वि्श्वविद्याल्यों से सम्बन्धित ध्यानार्कृण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने का आपने मौका दि्या, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश में सर्वोच्च डिग्री वि्श्वविद्याल्य से मिलती है। उसके लिए जो डिग्री कालेजेज कि्सी यूनि्वर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनकी बात अलग है। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार कि्या है कि फर्जी वि्श्वविद्याल्यों की संख्या भी हमारे देश में है। ये फर्जी वि्श्वविद्याल्य फर्जी तरीके से लोगों ने खोल रखे हैं और ये विद्यार्थि्यों को डिग्री देते हैं। इस्से उनका भवि्य चौपट हो रहा है और कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाती है, जि्ससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस प्रकार के फर्जी वि्श्वविद्याल्यों द्वारा केवल डिग्री देने की बात ही नहीं है, बल्कि कमर्शि्यल रूप में, फर्जी रूप में वि्श्वविद्याल्य बनाकर वे छात्रों से पैसा लेकर डिग्री देने का काम करते हैं। इसलिए इन पर आईपी्सी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा जिन छात्रों के भवि्य के साथ इन्होंने खिल्वाड़ कि्या है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए कोई प्रभावी कानून बना्या जाए, जि्ससे छात्रों का भवि्य बचा्या जा सके और उन्हें सही रूप में शि्क्षा भी हासिल हो सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोद्य, सरकार का जितना ध्यान प्राथमिक और माध्यमिक शि्क्षा की ओर जा रहा है, उतना उच्च शि्क्षा की ओर नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि बजट में भी उच्च शि्क्षा के ऊपर जो व्यय होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। प्रदेशों में फर्जी वि्श्वविद्याल्यों को रोकने के लिए और छात्रों के जी्वन के साथ खिल्वाड़ करने के लिए पुराने कानून बने हुए हैं, उनमें जो कमि्यां हैं, क्या सरकार उन्हें दूर करेगी? वर्तमान वि्श्वविद्याल्यों के स्तर के उन्न्यन के लिए सरकार क्या प्र्यास कर रही है, ताकि वि्देशी छात्र भी भारत में आकर नालंदा और तक्शिला की तरह शि्क्षा प्राप्त कर सकें? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की चिंता एक ऐसे विषय पर है, जिसका सीधा सम्बन्ध देश के नौजवानों के भविष्य और शिक्षा के स्तर से है। उस स्तर को किस प्रकार से बिगाड़ा जा रहा है, इससे भी यह विषय सम्बन्ध रखता है। मैं आपसे इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस विषय पर हमें केवल ध्यान ही नहीं देना है, ऐसे कदम भी उठाने हैं, जिससे यह बात समाप्त हो। मैंने यह नहीं कहा कि 1956 के यूजीसी कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमने कहा है कि अलग से कानून लाने की जरूरत नहीं है। यूजीसी के कानून को और स्पष्ट तथा मजबूत बनाने के लिए सुझाव आए हैं। इसके अलावा आज आप जो सुझाव दे रहे हैं, वे भी उसमें हैं। इस सम्बन्ध में एक विधेयक बन रहा है, जिसमें यूजीसी के कानून को संशोधित किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में हम इस विधेयक को संसद में लाएंगे।

अभी जो प्रयास हुए हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि ऐसे विश्वविद्यालयों की जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी होने पर सबसे ज्यादा सहायता छात्रों को होती है। इसलिए हर सत्र के शुरू होने के पहले यूजीसी एक सूची निकालती है, जिसमें ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम पर चलने वाले संस्थान, जो फर्जी हैं, उनके नाम होते हैं। यह कहा जाता है कि छात्र इनसे दूर रहें। अगर कोई जानते हुए भी उसमें भर्ती होता है, वह थोड़ी सी लाचारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं।

जहां तक दंड के बढ़ाने का सवाल है, जो आज प्रावधान हैं, निश्चित रूप से वे पर्याप्त नहीं हैं और उनको बढ़ाया जायेगा। जो संशोधन आयेगा, उसमें दंड को बढ़ाया जाएगा और दंड के बढ़ाने की प्रक्रिया भी सरल की जाएगी ताकि ऐसी बातों को बढ़ावा न मिले।

उच्च-शिक्षा को ऊपर उठाने का माननीय रावत जी का प्रश्न है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज की परिस्थिति में सर्व-शिक्षा-अभियान द्वारा प्राथमिक रूप से एलीमेंट्री एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उच्च-शिक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहर की संस्थाएं आज भारत में इस प्रयोजन के लिए आना चाहती हैं। माननीय सीएनआर राव की अध्यक्षता में उच्च-शिक्षा के बारे में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी आ गयी है और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही इस बारे में कार्यवाही की जाएगी, प्रावधान किया जाएगा।

जहां तक डीम्ड युनिवर्सिटीज का सवाल है, यह बात सही है कि डीम्ड युनिवर्सिटीज 10-15 सालों की देन है। इससे पहले कोई इस बारे में जानता नहीं था। डीम्ड युनिवर्सिटीज की स्थापना अलग से नहीं, यूजीसी के कानून के अंतर्गत धारा 3 और अन्य धाराओं को जोड़कर होती है। डीम्ड युनिवर्सिटीज को और अच्छी तरह से रैगुलेट करने के लिए और उनकी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने जरुरी हैं। राज्यों ने भी इस बारे में अपनी-अपनी राय दी हैं और समय-समय पर सदन में और बाहर भी इस विषय पर चर्चा हुई है। नवम्बर के महीने में जितनी भी डीम्ड युनिवर्सिटीज हैं, उनकी सभा बुलाई गयी है और उसमें प्रदेशों और अन्य लोगों द्वारा जो सुझाव आये हैं, उन पर विचार-विमर्श करेंगे और एक कानून डीम्ड युनिवर्सिटीज से जुड़ा हुआ, बनाने का निश्चय लिया जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यह बात टालने की नहीं है। यह बात जरुरी है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए और सलाह-मशविरा करके कानून बनना चाहिए। यह कोई क्रीमिनल लॉ को एप्लाई करने वाली बात नहीं है। अगर वैसा हो तो उसके साथ भी स्थिति स्पष्ट करते हुए जिसको आदेश देना हो, आदेश देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रावधान पर्याप्त हैं और नये कानून बनाने की जरुरत नहीं है, इन्हीं कानूनों को मजबूत करने की जरुरत है। आप सबकी मंशा के मुताबिक ही कानून को लाया जाएगा, जिससे आप भी संतुष्ट हों। जहां तक यूजीसी द्वारा किये जाने वाले कामों की बात है तो बहुत से काम संतोषजनक नहीं हैं। वे काम संतोषजनक हो जाएं, हमारा यही प्रयास होगा। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा के उन्नयन के लिए, जिस प्रकार का सहयोग, सदन का और सदन के बाहर के लोगों का, मिलता रहा है, वह बराबर मिलता रहेगा और निश्चित रूप से चाहे युनिवर्सिटी हो, कालेज हो, डीम्ड युनिवर्सिटीज हों, रिजर्वेशन का सवाल हो, सभी को समुचित तरीके से डील करके, सबकी सहमति से एक फैसला हो, ताकि रोज-रोज के प्रश्न न उठें - हमारी यही चेष्टा है और आपका सहयोग इसमें वांछनीय है।

17.30 hrs.